14/6/18 पत्रावली आज स्वजन लोक अदालत अधिष्ठान।
न्याय आपके द्वार – 2018 के अन्य ग्राम पंचायत द्वारा
में पेश हुई। तहसीलदार स्योरस ने अपने
पत्रांक 173 दिनांक 14.6.18 से रिपोर्ट के माध्यम
अवगत कराया है कि अरोप के विरुद्ध 188 धारा
स्व. की है जिसको प्रतिवादीगण से स्थायी निषेधाज्ञा
के कब्जे कब्जा में कोई अतिक्रमण नहीं करने
हेतु पाबंद किया गया है, तहसीलदार स्तर से
कोई पालन अपेक्षित नहीं है, इस लिए प्रकरण
खारिज किया जावे।

अतः तहसीलदार स्तर से कोई
पालना अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रकरण
खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नत्थी रिकॉर्ड हो।